Affiliation

संख्या ई-5-1175 /जी.एस.

लखनऊ, दिनांक 25/7/ ....2001 ।

(पिन कोड नं.-227132)

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ-२१

महोदय,

आपके पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/२००१/६५५२-५४, दिनांक १०.०७.२००१ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम-२००० की धारा-२३(२) के अधीन ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत(1) मास्टर आफ कम्प्युटर अप्लीकेशन (2) मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों में (प्रत्येक में साठ-साठ सीट) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२००१ से आगामी तीन वर्षों तक की अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश संख्या : १९६०/सत्तर-२-९७(८५)९७, दिनांक ११.११.९७ के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है ।

२. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से संबंधित परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी ।

३. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी ।

भवदीय,

/

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग(हेस्टिंग्ज रोड) इलाहाबाद ।
२. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।
४. चेयरमैन, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा ।
५. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गाँधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
६. कम्प्युटर सेल, राजभवन, लखनऊ ।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव ।